संख्या- 4755/15-7-16(82)/1995

Recognition/NOC

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीति विहार नई दिल्ली।

ा (7) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 22 जनवरी, 1996

विषय:- उत्तम स्कूल फार गर्ल्स शास्त्रीनगर गाजियाबाद को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तम स्कूल फार गर्ल्स शास्त्रीनगर गाजियाबाद को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचि
जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश मा
मिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षा
के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की
जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से
शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल
फिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परी
परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्य
तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहाय
शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्
से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता
अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को
सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।